



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल. सं. NCST/DEV-1406/UK/2/2023-ESDW

दिनांक: 26.07.2024

सेवा में,

सुश्री सुमन सिंह,
पुत्री श्री श्याम सिंह,
ग्राम- खेमपुर,
विकास खंड व तहसील-गदरपुर,
जिला-उधम सिंह नगर,
उत्तराखंड

विषय: जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद- उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड के द्वारा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की विकास योजनाओं को अनुमोदित न करने और क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुमन सिंह, पुत्री श्री श्याम सिंह, (जिला पंचायत सदस्य), ग्राम- खेमपुर, विकास खंड व तहसील-गदरपुर, जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का दिनांक 15.02.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय सदस्य (श्री निरूपम चाकमा) ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 07.08.2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से सूचित कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: researchofficer-esdw@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीय सदस्य महोदय (नि. चा.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।